81

:: महत्वपूर्ण ::

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन–भोपाल–462004

क्रमांक एफ 7–18/2005/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 7/7/2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषयः– कीर, मीना एवं पारधी जाति के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबध में ।

संदर्भ :– इस विभाग का का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 5.8.2005, दिनांक 17.8.2005 एवं 21.12.2011

कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें। भारत सरकार के राजपत्र संख्या –10 दिनांक 8.1.2003 व्दारा म0प्र0 की अनुसूचित जनजाति की सूची में अंकित क्रमांक 21, 32 एवं 39 (क्रमशः कीर, मीना एवं पारधी जातियों) को विलोपित किये जाने के फलस्वरुप उक्त अधिसूचना के उद्धरण की प्रति सर्वसंबंधितो को ज्ञाप दिनांक 5.8.2005 व्दारा प्रेषित की गई है तथा विभागीय परिपत्र दिनांक 17.8.2005 द्वारा **भारत सरकार की उक्त अधिसूचना जारी होने के दिनांक 8.1.2003 से राज्य शासन व्दारा अधिसूचना के अग्रेषण की तिथि 5.8.2005 के बीच उक्त तीनों जातियों के प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राप्त किये गये नियोजन/किसी संस्थाओं में प्रवेश संबंधी प्रकरणों में कार्यवाही स्थगित रखने के** निर्देश जारी किये गये है।

2/ मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि इन जातियों के व्यक्तियों को अभी भी पदोन्नति में आरक्षण देने के प्रकरण सामने आ रहे है। अतः इस संबंध में पुनः स्पष्ट निर्देश जारी करने के मंशा जाहिर की है।

3/ इस विषय पर विधिक अभिमत प्राप्त किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा इन जातियों को सूची से विलोपित करने की तिथि से सीधी भरती एवं पदोन्नति में आरक्षण की पात्रता नहीं रह गयी है। अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि

..2..

बेटी है तो कल है

कीर, मीणा एवं पारधी जातियों के व्यक्तियों को यदि दिनांक 8–1–2003 से दिनांक 5–8–2005 तक की अवधि में आरक्षण का लाभ दिया गया है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही स्थगित रखी जाए। किन्तु दिनांक 5–8–2005 के बाद इन जातियों के व्यक्तियों को सीधी भरती एवं पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना विधि अनुकूल नहीं है।

4/ इस विषय पर पूर्व में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21–12–2011 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(शिवानन्द दुबे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7–18/2005/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 07/07/2012

प्रतिलिपि:–

1 राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
4. सचिव, लोकायुक्त, भोपाल मध्यप्रदेश.
5 सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर मध्यप्रदेश.
6. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, भोपाल.
7. निज सचिव/निज सहायक, मान. मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्य - मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक शिक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्ष मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल.
13. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल.
14. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन सी.जी.ओ. बिल्डिंग 52 अरेरा हिल्स, भोपाल.
15 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राजीव गांधी सदन, 35 बेसमेंट श्यामला हिल्स, भोपाल.

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है